रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226244
CG-DL-E-30032021-226244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943
No. 173] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

सा.का.नि. 222(अ).—प्रारूप नियम, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के अधीन अर्थात अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि 761(अ) तारीख 15 दिसंबर 2020, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां, तारीख 15 दिसंबर 2020 को जनता को उपलब्ध कराई गईं थीं।

और जबकि, प्रारूप संशोधन नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अब, अतः केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 4, 5, 7 तथा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात नियम कहा गया है) के, नियम 2 में –

(i) खंड (1), उपखंड (ग) में, टिप्पण 2 के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण, अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण 3. किसी विमान को लापता मान लिया जाएगा, जब आधिकारिक रूप से खोज बंद की जा चुकी हो और मलबे का पता नहीं लगाया जा सका हो।"

(ii) खण्ड (3) में, "उसे देश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो और जहां देश ने कोई दुर्घटना अन्वेषण प्राधिकरण स्थापित किया हो, तो ना निर्दिष्ट प्रत्यापित प्रतिनिधि उस प्राधिकरण से लिया जा सकता है" शब्दों के स्थान पर "देश और प्रत्यायित प्रतिनिधि, सामान्यताः देश के दुर्घटना अन्वेषण प्राधिकरण से होंगे" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उप-खंड (27) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"(27क) "वैश्विक प्रतिष्ठान की संरक्षा सिफारिश (एसआरजीसी)" पुनरावृत्ति की संभावना वाली प्रणालीगत खामी के संबंध में, वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय परिणामों सहित, संरक्षा सिफारिश और जिसके लिए संरक्षा में सुधार लाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई अपेक्षित है।"

(iv) उप-खंड (30) में, "दुर्घटना" शब्द के स्थान पर "घटना" शब्द रखा जाएगा।

(v) उप-खंड (36) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"(37) "यूटीसी" से सार्वभौमिक समय समन्वित अभिप्रेत है।"

3. उक्त नियमों में, खंड 4 में, उप-नियम (2) में,–

i. खंड (क) में, "घटनाओं के लिए आईएनसीआईडी" शब्दों के पश्चात, "गंभीर घटनाओं के लिए एसआईएनसीआईडी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

ii. खंड (ङ) में, "तारीख और समय" शब्दों के पश्चात "(स्थानीय समय या यूटीसी)" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 5 में,-

i. उप-नियम (1), खंड (घ) में, "दुर्घटना" शब्द के स्थान पर "घटना" शब्द रखा जाएगा।

ii. उप- नियम (2) में, "किसी भी परिस्थिति" शब्दों के पश्चात "घटना या एक" शब्द तथा "की परिस्थितियों" शब्दों के पश्चात "एक घटना या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, खंड 7 में, उप-खंड (3) में,-

i. "इन नियमों के अधीन" शब्दों के पश्चात "निदेश जारी करना" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

ii. उपबंध (ग) के पश्चात, निम्नलिखित उपबंध अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात -

"(घ) किसी उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना और ऐसे स्थान तक मलबे के परिवहन का सुगमीकरण।"

6. उक्त नियमों में, नियम 8 में, उप-खंड (3) में,–

(i) उपबंध (ज) में, "इसका" शब्दों के पश्चात "और" शब्द का लोप किया जाएगा।

(ii) उपबंध (ज) के पश्चात, निम्नलिखित उपबंध अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"(जक) इकाओ को वैश्विक प्रतिष्ठान की संरक्षा सिफारिश (एसआरजीसी) जारी करने के बारे में सूचित करना और तिथिबद्ध पत्र-व्यवहार में उसके प्रत्युत्तर, जब एसआरजीसी इकाओ को संबोधित न हो तब भी; और"

7. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात

"(6) डीजी, एएआईबी प्रभारी अन्वेषक की रिपोर्ट स्वीकार करेंगे और स्वीकृति के पश्चात, डीजी, एएआई द्वारा, उस रिपोर्ट को ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे, सार्वजनिक किया जाएगा।"

8. उक्त नियमों में, नियम 23 का लोप करने के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात -

"24. **एएआईबी बुलेटिन** – (1) डीजी, एएआईबी, एएआईबी शीर्षक वाले बुलेटिन के प्रकाशन / माध्यम से, भारत में या भारत के ऊपर उड़ान भरने वाले विमानों या भारत के रजिस्ट्री विमानों की दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं के अन्वेषण के संबंध में ऐसी सूचना जारी कर सकता है, जो वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) और इन नियमों से असंगत न हों।"

9. उक्त नियमों में, अनुसूची क में -

(i) उपबंध (क) के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"टिप्पण: इकाओ दस्तावेज 4444 में यथा उल्लिखित "टकराव का जोखिम" और "बीमाकृत नहीं की गई संरक्षा" तीव्रता के साथ वर्गीकृत 'लगभग टकराव' को गंभीर घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।"

(ii) खंड (च) में, "टैक्सीवे या अनावंटित रनवे" शब्दों के स्थान पर "टैक्सीवे, अनावंटित रनवे या अनाभिप्रेत अवस्थितियां जैसे रोडवेज" शब्दों को रखा जाएगा।

(iii) खंड (ठ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात -

"(ठ) उड़ान के दौरान उड़ान कर्मीदल का अक्षम हो जाना;

(i) रिमोट पायलट सहित एकल पायलट प्रचालनों के लिए;

(ii) बहु-पायलट प्रचालनों के लिए, जिसके लिए शेष कर्मीदल के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि के कारण उड़ान संरक्षा से समझौता किया गया।"

(iv) खंड (त) "विफलताओं" शब्द के पश्चात "पॉवर या थ्रस्ट की कमी सहित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(v) खंड (त) में पश्चात, निम्नलिखित उपबंध अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ध) अवतरण (लैंडिंग) गीयर लैग का प्रत्याहार (रिट्रेक्शन) या पहियों के उपर होने की स्थिति के साथ अवतरण (व्हील्स-अप लैंडिंग) जिसे दुर्घटना के रूप में वगीकृत न किया गया हो।"

(vi) खंड (ध) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"(न) किसी विंग टिप, किसी इंजिन पॉड या विमान के किसी अन्य हिस्से का अवतरण के दौरान घिसट जाना (ड्रैगिंग), जब इसे एक दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो।"

10. उक्त नियमों में, अनुसूची ख में -

1. "अनुसूची ख" के अधीन "2(क)" वर्ग कोष्ठक में अंकों "2(क)" के स्थान पर "2(1)" अंकों को रखा जाएगा।
2. खंड 9 में, "विमान अर्थात अन्यथा" शब्दों के स्थान पर, "विमान ने अन्यथा" को रखा जाएगा।

[फा.सं. एवी-11012/3/2019-डीजी]

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:-

1. मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) सा.का.नि. 1011 (अ) तारीख 7 अगस्त 2017 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

G.S.R. 222(E).—Whereas, the draft of rules, were published, as required under section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 761 (E), dated the 15th December, 2020, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 15th December, 2020;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the draft amendment rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4, 5, 7 and 10 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2017, namely:—

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, —

(i) in clause (1), sub-clause (c), after Note 2, the following Note shall be inserted, namely :—

"Note3. An aircraft shall be considered as missing when the official search has been terminated and the wreckage has not been located."

(ii) in clause (3), for the words "State and where the State has established an accident investigation authority, the designated accredited representative would normally be from that authority", the words "State, and the accredited representative would normally be from the state's accident investigation authority" shall be substituted;

(iii) after sub-clause (27), the following clause shall be inserted, namely :—

"(27A) "Safety recommendation of global concern (SRGC) – A safety recommendation regarding a systemic deficiency having a probability of recurrence, with significant consequences at a global level, and requiring timely action to improve safety;";

(iv) in sub-clause (30), for the word "accident", the word "occurrence" shall be substituted;

(v) after sub-clause (36), the following clause shall be inserted, namely :—

"(37) "UTC" means Universal Time Co-ordinated."

3. In the said rules, in rule 4, in sub-rule (2), —

(i) in clause (a), after the words and letters "for incidents INCID", the words "for serious incidents SINCID," shall be inserted.

(ii) in clause (e), after the words "date and time", the words, brackets and letters "(local time or UTC)" shall be inserted.

4. In the said rules, in rule 5, —

(i) in sub-rule (1), in clause (d), for the word, "accident", the word "occurrence" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), the words "incident or a" after the words "circumstances of any" and the words "an incident or" after the words "circumstances of" shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (3), —

(i) the words "issue directions" shall be inserted after the words " under these rules,";

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely : —

"(d) for arranging a suitable place and facilitation of transportation of wreckage to such a place."

6. In the said rules, in rule 8, sub-rule (3), —

(i) in clause (h), the word "and" after the words "of the same;" shall be deleted.

(ii) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely : —

"(ha) to inform ICAO of the issuance of a Safety Recommendation of Global Concern (SRGC) and its responses in dated transmittal correspondence, even when the SRGC is not addressed to ICAO; and".

7. In the said rules, in rule 11, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely : —

"(6) The DG, AAIB shall accept the report of the Investigator-in-Charge and after acceptance, the same shall be made public by the DG, AAIB in a manner he deems fit."

8. In the said rules, after omitted rule 23, the following rule shall be inserted, namely : —

"24. **AAIB Bulletins.** – (1) The DG, AAIB may, through publication entitled AAIB Bulletins, issue information not inconsistent with the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) and these rules, relating to the investigation of accidents and serious incidents of aircraft flying in or over India or of aircraft registered in India."

9. In the said rules, in schedule A, —

(i) after clause (a), the following note shall be inserted, namely : —

"Note: Near collision classified with severity "Risk of Collision" and "Safety not assured" as in ICAO Doc 4444 shall be classified as serious incident."

(ii) in Clause (f), for the words "taxiway or unassigned runway", the words "taxiway, unassigned runway or unintended landing locations such as roadways" shall be substituted.

(iii) For the clause (l), the following clause shall be substituted, namely : —

"(l) Flight crew incapacitation in flight;

(i) for single pilot operations including remote pilot; ;

(ii) for multi-pilot operations for which flight safety was compromised because of a significant increase in workload for the remaining crew."

(iv) in clause (p), the words "including loss of power or thrust" shall be inserted after the word "failures";

(v) after clause (p), the following clause shall be inserted, namely : —

"(s) retraction of a landing gear leg or wheels-up landing not classified as an accident."

(vi) after clause (s), the following clause shall be inserted, namely : —

"(t) dragging during landing of a wing tip, an engine pod or any other part of the aircraft, when not classified as an accident."

10. In the said rules, in Schedule B, —

(i) in the square brackets under "Schedule B", the characters "2(1)" shall be substituted for the characters "2(a)";

(ii) in the clause 9, for the words "aircraft as otherwise", the words "aircraft has otherwise" shall be substituted.

[F. No. AV-11012/3/2019-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note:-

1. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number G.S.R. 1011(E) dated 7th August 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.30 20:06:49 +05'30'